विलोपित विलोपित

प्र.क. R PBR / 2018

प्रस्तुती दिनांक / 04 / 2018

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

PBR/ निगरानी/ धार/ भू.रा/ 2018/ 2356

बालु पिता स्व. श्री शंकरलाल पाटीदार,

निवासी – ग्राम चिकल्या तह. व जिला धार .... प्रार्थी / आवेदक

श्री टी.डी. गुप्ता (स्व) द्वारा आज दि. 11/04/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 3-5-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 11-4-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. रामप्रसाद पिता स्व. श्री शंकरलाल पाटीदार,
2. गोविंद पिता स्व. श्री शंकरलाल पाटीदार,
3. लक्ष्मीनारायण पिता स्व. श्री शंकरलाल पाटीदार,

तीनों निवासी – ग्राम चिकल्या

तह. व जिला धार .... प्रतिप्रार्थी / अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959

मान्यवर महोदय,

अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय, वृत्त–2, तिरला तह. व जिला धार द्वारा रा.प्र.क. 24 / अ–6 / 2015–16 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 01.03.2018 से व्यथीत व असंतुष्ट होकर प्रार्थी यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है।

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/धार/भूरा/2018/2356

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
16-4-2018	आवेदक अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव उपस्थित। उन्हें सुना गया । तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 1-3-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है । तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदक के द्वारा उनके साक्षियों को न्यायालय के माध्यम से सूचना पत्र द्वारा तलब किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे तहसील न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है, जो कि उचित प्रक्रिया नहीं है । नियमानुसार आवेदक से उनके साक्षियों की सूची प्राप्त कर न्यायालय का ही यह कर्तव्य था कि वह साक्षियों को आहूत करायें । अतः तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 1-3-2018 निरस्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि वे आवेदक के साक्षियों को सूचना पत्र जारी कर आहूत करें । तहसील न्यायालय को इन निर्देशों के साथ यह निगरानी समाप्त की जाती है । अध्यक्ष	